

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 533 / 2013 / जोधपुर

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, पाली.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स संजीवनी क्रेडिट कॉ—ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड,
जोधपुर.

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित ::

श्री डी. पी. ओझा,
उप राजकीय अभिभाषक
श्री आर. वी. सोनी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.
.....प्रत्यर्थी की ओर से.

दिनांक : 13 / 03 / 2015

निर्णय

1. यह अपील राजस्व द्वारा उपायुक्त (अपील्स), द्वितीय, वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के अपील संख्या 4 / आरवेट / पाली / 11-12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 18.7.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा गया है) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट-प्रथम, प्रतिकरापवंचन, पाली (जिसे आगे 'सक्षम अधिकारी' कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 76(6) के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 23.6.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 23.6.2011 को वाहन संख्या आर.जे.01 / जीए-3931 को चैक किये जाने पर वाहन में कैम्पर, दीवार घड़ी, कर्मचारियों की यूनिफॉर्म व स्टेशनरी सामान परिवहनित करते हुए पाया गया। परिवहनित माल से सम्बन्धित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जाने पर माल परिवहन में वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए धारा 76(6) के तहत आदेश दिनांक 23.6.2011 पारित करते हुए शास्ति रूपये 38,576/- का आरोपण किया गया। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.7.2012 से स्वीकार किये जाने से व्यक्ति होकर यह अपील राजस्व द्वारा प्रस्तुत की गई है।



लगातार.....2

3. विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने सक्षम अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि वक्त जांच वाहन में परिवहनित माल से सम्बन्धित कोई दस्तावेज नहीं पाये जाने पर व्यवहारी के वेट अधिनियम की धारा 76(2) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिये सक्षम अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध वेट अधिनियम की धारा 76(6) के अन्तर्गत शास्ति का आरोपण विधि अनुसार किया गया था। अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण के तथ्यों पर विचार किये बिना सक्षम अधिकारी के आदेश को अपास्त किये जाने में विधिक भूल की गई है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक द्वारा उक्त कथन के साथ राजस्व की अपील स्वीकार की जाकर अपीलीय अधिकारी का आदेश अपास्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

4. विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया कि वाहन में परिवहनित माल उनके स्वयं के उपयोग के लिये आयात किया गया था, ना कि विक्रयार्थ। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी.पी.मैटल्स (2001) 124 एस.टी.सी. 611 के पैरा 31 में यह स्पष्ट किया गया है कि स्वयं के उपयोग के लिये माल आयात किये जाने पर धारा 78(5) [वेट अधिनियम की धारा 76(6)] के प्रावधान आकर्षित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा शास्ति का आरोपण विधिविरुद्ध किया गया था एवं अपीलीय अधिकारी ने शास्ति आदेश अपास्त किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। उक्त कथन के साथ राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय के उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्ययन किया गया।

6. इस प्रकरण में सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 23.6.2011 को वाहन चैक किये जाने पर वाहन में कैम्पर, दीवार घड़ी, स्टेपलर, स्टाम्प पेड, लोन डे बुक, लोन जमा पर्ची, आवक जावक रजिस्टर, खाता खोलने का रजिस्टर, ऋण आवेदन फॉर्म, कर्मचारियों की यूनिफॉर्म इत्यादि माल उदयपुर से जोधपुर परिवहनित किया जा रहा था। उक्त माल की प्रकृति से प्रथम दृष्टया यह स्पष्ट है कि यह माल प्रत्यर्थी क्रेडिट कॉ-ऑपरेटिव सोसायटी के स्वयं के उपयोग हेतु परिवहनित किया जा गया है, ना कि विक्रयार्थ। ऐसी स्थिति में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त राजस्थान राज्य बनाम मैसर्स डी.पी.मैटल्स (2001) 124 एस.टी.सी. 611 में निम्न व्यवस्था दी गयी है :—

लगातार.....3

".....Penalty under Section 78(5) is leviable under two circumstances. Firstly if there is non-compliance with Section 78(2)(a) i.e. not carrying the documents mentioned in that sub-clause or, secondly if false or forged documents or declaration is submitted. **This sub-section cannot relate to personal belongings which are not meant for sale but would relate to those types of goods in respect of which documents referred to in Section 78(2)(a) exist or can exist."**

7. माननीय न्यायालय के उपरोक्त अवधारण से यह स्पष्ट है कि स्वयं के उपयोग हेतु माल के आयात किये जाने पर राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 76(2)(ए) [वेट अधिनियम की धारा 76(2)] के प्रावधानों का उल्लंघन मानते हुए शास्ति का आरोपण नहीं किया जा सकता। अतः सक्षम अधिकारी द्वारा धारा 76(6) के तहत शास्ति का आरोपण किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारी के उक्त अविधिक आदेश को अपास्त किये जाने में कोई विधिक भूल नहीं किये जाने से अपीलीय आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं है।
8. परिणामस्वरूप राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।
9. निर्णय सुनाया गया।

मनोहर पुरी
17.03.2015
(मनोहर पुरी)
सदस्य